न्यायालयः–अपर सत्र न्यायाधीश भैंसदेही, जिला बैतूल, म.प्र.	
अजय डोंगरे पिता राजू डोंगरे, उम्र–22 वर्ष, जाति मांग निवासी–गुणवंत नगर आठनेर आरक्षी केन्द्र आठनेर जिला बैतूल म.प्र.....आवेदक/अभियुक्त **–::विरूद्ध::–** म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आठनेर जिला बैतूल, म.प्र. .....अनावेदक/अभियोजन	Case no.----------BA/78/2022 Filling no.----------BA/1233/2022 CNR no.MP4805000-1471-2022 Filling date.----------29.08.2022

ORDER SHEET

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
01.09.2022	आवेदक/अभियुक्त की ओर से नरेश राठौर अधिवक्ता उपस्थित है। अनावेदक/राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री मनवीरसिंह ठेनुआ उपस्थित। प्रकरण प्रतिभूति आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत है। प्रस्तुतकार द्वारा सत्र प्रकरण कमांक 41/2022 म.प्र. राज्य विरूद्ध अजय, धारा–363, 366, 376(1), 376(2)(एन), 376(2)(एच), 506 भा.दं.सं. एवं धारा–5(एल) सपहठित 6 लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का मूल अभिलेख प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त द्वारा धारा 439 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अंतर्गत प्रथम प्रतिभूति आवेदन में उपरोक्त मामले में प्रतिभूति पर स्वतंत्र किये जाने की प्रार्थना की गई है। उक्त आवेदन अभियुक्त के अभियुक्त के परिचित अयाज खान पिता सरदार खान, निवासी–गुणवंत नगर आठनेर आरक्षी केन्द्र आठनेर जिला बैतूल म.प्र. द्वारा निष्पादित शपथपत्र दिनांक 29.08.2022 से समर्थित है जिसमें यह परिसाक्षित किया गया है कि अभियुक्त/आवेदक से संबंधित कोई भी प्रतिभूति आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. अन्य किसी न्यायालय या माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही निराकृत किया गया है। आज दिनांक तक अभियुक्त से संबंधित उक्त मामलें में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा किया गया कोई भी प्रतिभूति आदेश इस न्यायालय को अभिप्राप्त नहीं हुआ है। अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी/पीड़िता की मां द्वारा दिनांक 25.03.2022 को आरक्षी केन्द्र आठनेर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उसके दो लड़के और एक लड़की पीड़िता उम्र 17 वर्ष है। पीड़िता कक्षा 11 वीं में पढ़ाई कर रही थी। दिनांक 22.03.2022 की रात में सभी ने खाया और पीड़िता तथा लडका उसके साथ बीच वाले कमरे में सोए थे। उसका पति पलंग पेटी पर सोया था। वह रात के करीब 01:00 बजे बाथरूम करने उठी तो पीड़िता बिस्तर पर नहीं दिखी। तब उसने सामने का दरवाजा देखा जिसकी साकल खुली थी और दरवाजा लपटा था। उसने बाहर जाकर पीड़िता को देखा परन्तु वह नहीं दिखी। उसने अपने लड़के और पति को उठाया और बताया कि पीड़िता नहीं दिख रही है तब उन्होंने पीड़िता को आस–पास, मोहल्ले में तलाश किया और दूसरे दिन भी रिश्तेदारों में पता किया परन्तु पीड़िता का कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति पीड़िता को बहला–फुसलाकर भगाकर ले गया है। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र आठनेर द्वारा गुम इंसान क्र. 24/2022 लेख कर जांच में लिया गया। अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्र. 138/2022, धारा–363 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। पीड़िता के दिनांक 26.07.2022 को थाना आठनेर में उपस्थित होने पर दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा तैयार किया गया। पीड़िता को उसके माता–पिता के सुपुर्द किया गया। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पीड़िता के संबंधित मजिस्ट्रेट के	

समक्ष धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन कराये गये। पीड़िता द्वारा अपने पुलिस कथन में अभियुक्त द्वारा उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करना और शादी का कहकर उसे अमरावती एवं बुट्टीबोरी नागपुर ले जाकर एवं कमरे में रखकर उसके साथ कई बार बलात्कार करना जिससे गर्भवती होना और गर्भवती होने के पश्चात् भी अभियुक्त द्वारा उसके साथ कई बार बलात्कार करना एवं जान से मारने की धमकी देना बताया गया। अभियुक्त को दिनांक 29.07.2022 को गिरफ्तार कर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। अभियुक्त को दिनांक 30.07.2022 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसकी न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार की गई। घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। पीड़िता के कथनों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा–366, 376(1), 376(2)(एन) 376(2)(एच), 506 भा.दं.सं. एवं धारा–5(एल) सहपठित 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अपराध की वृद्धि की गई। साक्षीगण के धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये गये। सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत दिनांक 25.08.2022 को अभियुक्त के विरूद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान प्रतिभूति आवेदन की अंतर्वस्तु को दोहराते हुये अभियुक्त को प्रतिभूति पर स्वतंत्र करने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त प्रतिभूति आवेदन पर गंभीर विरोध प्रकट करते हुए आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

आरक्षी केंद्र आठनेर के अपराध क्रमांक 138/2022 से उद्भूत सत्र प्रकरण क्रमांक 41/2022 म.प्र. राज्य विरूद्ध अजय का परिशीलन किया गया। अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि पीड़िता सुसंगत दिनांक को 18 वर्ष की कम आयु की थी। पीड़िता ने अपने पुलिस कथन में अभियुक्त द्व ारा उसे शादी का कहकर अमरावती एवं बुट्टीबोरी नागपुर ले जाकर एवं कमरे में रखकर उसके साथ कई बार बलात्कार करना जिससे गर्भवती होना और गर्भवती होने के पश्चात् भी अभियुक्त द्वारा उसके साथ कई बार बलात्कार करना एवं जान से मारने की धमकी देना बताया गया। अभियुक्त द्व ारा पीड़िता के साथ बार–बार प्रवेशन लैंगिक हमला किया जाता रहा है। अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है। बालकों के विरूद्ध यौन हिंसा के मामलों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उपरोक्त परिस्थिति में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम प्रतिभूति आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति मूल अभिलेख में संलग्न की जावें।

प्रतिभूति आवेदन का परिणाम दर्ज कर पत्रावली अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

Chitrendra Singh Solanki
Digitally signed by Chitrendra Singh Solanki
Date: 2022.09.01 16:32:03 +0530

सही/–

चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी
अपर सत्र न्यायाधीश भैंसदेही
जिला–बैतूल (म.प्र.)